5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र0 क्र0 II टंकन सुधार / मुरैना / भू–रा0 / 2017 /

ओम प्रकाश पुत्र श्री राम चरण
ब्रम्हण निवासी ग्राम शिकारपुर
तहसील व जिला ग्वालियर मुरैना
हाल निवासी सरस्वती नगर भवन
क0 88 यूनिवर्सिटी रोड ग्वालियर

....**प्राथी / अनावेदक क0 1**

विरूद्ध

1 रामनिवास पुत्र रामचरन निवासी ग्राम शिकारपुर तहसील व जिला मुरैना

....**प्रतिप्रार्थी / आवेदक**

2 दिलीप कुमार

3 संजय

4 शिशुपाल

5 बृजकिशोर

6 देशराज पुत्रगण दिलीप कुमार

7 आशीष पुत्र दिलीप कुमार

8 अनीलता पत्नी दिलीप कुमार

9 श्रीमति त्रिवेणी पत्नी लक्ष्मीनारायण

10 मधु पुत्री लक्ष्मीनारायण
निवासीगण ग्राम शिकारपुर परगना व
जिला मुरैना

..........**प्रतिप्रार्थी / अनावेदक क0 2 लगायत 10**

श्री .... द्वारा आज दि0 .... को प्रस्तुत

क्लर्क .... राजस्व मण्डल

आवेदन वास्ते निगरानी आदेश मे संशोधन किये जाने बाबत्

श्रीमान महोदय,

प्रार्थी / अनावेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नांकित प्रस्तुत है–

1 यहकि, प्रतिप्रार्थी क0 1 / आवेदक द्वारा प्रार्थी / प्रतिप्रार्थी क0 1 एवं प्रतिप्रार्थी क0 2 लगायत 10 को पक्षकार बनाते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुरैना के प्रकरण क0 13 / अ–27 / 15–16 दिनांकी 17 / 01 / 2017 के आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण क0 379 / एक / 2017 पर दर्ज हुई।

2 यहकि, उक्त प्रकरण मे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 14 / 07 / 2017 को आदेश पारित करते हुये प्रतिप्रार्थी क0 1 / आवेदक की निगरानी निरस्त की गई।

3 यहकि, उक्त प्रकरण ग्राम शिकारपुर तहसील व जिला मुरैना के सर्वे क0 446, 448, 449, 450 एवं गौत व मकान सर्वे क0 274 के संबंध मे था लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश के पद क0 2 की प्रथम पंक्ति मे सहवन से टाइपिंग त्रुटि के कारण ग्राम शिकारपुर के स्थान पर ग्राम छौंदा लेखबद्ध हो गया जिसे ग्राम छौंदा के स्थान पर ग्राम शिकारपुर संशोधन कर लेखबद्ध किया जाना न्यायाहित मे उचित व आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का आवेदन का स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 14 / 07 / 2017 के पद क0 2 की प्रथम पंक्ति मे ग्राम छौंदा विलोपति किया जाकर उक्त स्थान पर ग्राम शिकारपुर किये जाने के आदेश दिये जाने की कृपा की जावे।

इति दिनांक– / / 2017

प्रार्थी

ओमप्रकाश........प्रार्थी

द्वारा अभिभाषक

राजेन्द्र जैन एडवोकेट

— —

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/विविध/मुरैना/भू–रा./2017/2381

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
4 .8.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र जैन उपस्थित होकर आवेदन वास्ते निगरानी आदेश निगरानी आदेश में संशोधन किये जाने बावत प्रस्तुत किया गया है । उनके द्वारा बताया गया है कि प्रकरण कमांक 379–एक/2017 में पारित आदेश दिनांक 14.7.17 में किया गया है। आदेश के पद कमांक–2 की प्रथम पंक्ति में सहवन से टाइपिंग त्रुटि के कारण ग्राम शिकारपुर के स्थान पर ग्राम छौंदा लेख बद्व हो गया है। ग्राम छौंदा के स्थान पर शिकारपुर लिखा जावे। 2– आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम छौदा के स्थान पर ग्राम शिकारपुर पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश की मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	